न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—180/2020/225 आर.टी.एक्ट (2020/180)

1. सन्तोष धर्मपत्नि स्व0 श्री गोपाल जाति कहार निवासी ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. अमरचंद पुत्र पांचू (फौत)
   1/1 लाडी देवी पत्नि अमरचंद
   1/2 धनराज पुत्र अमरचंद (नाबालिग जरिए संरक्षिका
   1/3 पन्ना पुत्र अमरचंद (माता लाडी देवी
   समस्त जाति कहार, निवासी नौरतजी ज्योतिष के पास, कहारों का चौराहा, गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
2. भंवरीदेवी धर्मपत्नि पांचू
3. भागचंद पुत्र पांचू (नाऔलाद फौत)
4. मनभर पुत्री पांचू (मृतक) जरिए वारिसानः—
   4/1 अमरसिंह पुत्र मनभर
   4/2 सुमित्रा पुत्री मनभर
   4/3 सरस्वती पुत्री मनभर
   4/4 गणेश पति मनभर पुत्र भंवरसिंह (फौत)
5. शिवनाथ पुत्र औकारनाथ
6. गणेश पुत्र पन्ना (मृतक) जरिए वारिसानः—
   6/1 नाथू पुत्र गणेश
   6/2 राहुल पुत्र गणेश
   6/3 सोनिया पुत्री गणेश
   6/4 ललिता पुत्री गणेश
   समस्त जाति कहार निवासी ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।
8. उप—पंजीयक पुष्कर जिला अजमेर।
9. राहुल उबाना पुत्र भगवान स्वरूप उबाना जाति माली निवासी 528, नया घर गुलाब बाडी, हनुमान मंदिर के पास, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

10. महेन्द्र पुत्र स्व0 श्री गोपाल
11. हेमराज पुत्र स्व0 श्री गोपाल
12. कचरीबाई पुत्री स्व0 श्री गोपाल नाबालिग जरिए माता
13. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री गोपाल
    समस्त जाति कहार निवासी ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

तरतीबी रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 45/2018 आदेश दिनांक 22.09.2020

उपस्थितः—

1. श्री रामसुख चौधरी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मृणालशर्मा, सीपी शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/3
3. श्री प्रवीण परमार अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4/1, 4/3
4. श्री मदनपुरी गोस्वामी रेस्पोडेंट संख्या 9
5. श्री विकास पराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 7, 8
6. रेस्पोडेंट संख्या 2, 4/2, 5, 6/1 से 6/4, 10 से 13 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—25.05.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 45/2018 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलांट द्वारा एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया साथ ही प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 45/2018 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2020 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2, 4/2, 5, 6/1 से 6/4, 10 से 13 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर के द्वारा आदेश दिनांक 22.9.2020 को जारी करने से पूर्व अप्रार्थी सं० 6 द्वारा लगाये गये प्रार्थना पत्र पर ध्यान नहीं दिया कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र मात्र पत्रावली को तलब कर सुनवाई किये जाने बाबत था तथा इसके अतिरिक्त स्थगन आदेश को निरस्त करने बाबत कोई भी दादरसी नहीं मांगी गयी थी। जिसे देखे बगैर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 22.9.2020 पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर द्वारा उपरोक्त प्रकरण बहस के लिये पूर्ण नहीं होने के बावजूद भी रेस्पो० सं० 6 को लाभ देने की नियत से संपूर्ण प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांक 22.9.2020 के द्वारा निरस्त कर दिया। जिससे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.9.2020 काबिल खारीज किये जाने योग्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.9.2020 मे प्रथम दृष्टया प्रकरण रेस्पो० स० 6 के पक्ष में होना दर्शाया है जब कि रेस्पो० स० 6 गणेश

मात्र 1/22 हिस्से का खातेदार काश्तकार जमाबंदी मे दर्ज है। यदि न्यायालय द्वारा रेस्पो० स० 6 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हए आदेश जारी किया जाता तो भी वह 1/22 हिस्से तक ही जारी किया जाना चाहिए था परन्तु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर ने संपूर्ण प्रार्थना पत्र ही आदेश दिनांक 22.9.2020 से खारीज कर दिया जिससे उनका निर्णय काबिल खारीज योग्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर द्वारा अपने निर्णय में कहीं पर भी यह अंकित नहीं किया है कि किस आधार पर अपीलांट के प्रार्थना पत्र के द्वारा गुमराह किया गया है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर द्वारा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त के बाबत कोई विश्लेषण नहीं किया गया है जिससे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.9.2020 काबिल खारीज योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 45/2018 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2020 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 1 में सभी खातेदार अपने अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज है एंव प्रार्थीया द्वारा बंटवारा हेतू प्रस्तुत किया गया है लेकिन निवेदन है कि प्रार्थीया के हक व हिस्से की भूमि पर ही बंटवारा होना है एवं वर्तमान मे रिकार्ड में त्रुटी होने के कारण अप्रार्थी सख्या 6 को हैरान व परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में उल्लेखित कथन न्यायलय की सही जानकारी में नहीं लाकर के झूठे तथ्यों का समावेश करते हुये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि खारिज होने योग्य है एंव अप्रार्थी संख्या 6 जमांबदी में त्रुटी होने से नामातंरण संख्या 808 दिनांक 30–12–2017 ऑफलाईन इन्द्रांज हो रखा है लेकिन स्थगन आदेश के कारण ऑनलाईन दर्ज नहीं हुआ उसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 6 का सही हिस्सा मूल रकबे में से 60/220 बनता है एवं प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 7 लगायत 10 का हिस्सा भी 60/220 बनता है इस प्रकार प्रार्थीया ही अप्रार्थी संख्या 7 से लगायत 10 की प्राकृतिक संरक्षक माता है नामांतरण सख्या 808 ऑफलाईन अनुसार होने एंव स्थगन आदेश हो जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 6 का हिस्सा ऑफलाईन से आनलाईन नहीं हो रखा जिससे अप्रार्थी सख्या 6 को अधिक परेशानी हो रही है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में उल्लेखित कथन गलत होने से अस्वीकार है क्योंकि रिकार्ड दूरस्ती के बाद ही बंटवारा नामा किया जाना उचित होगा अतः प्रार्थीया द्वारा पेश किया प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की चरण सं 5 में वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार है एवं वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया संतोष के पति एवं प्रतिवादी सं 6 की खरीदशुदा है एवं सभी खातेदार अपने अपने हिस्से पर मौखिक बंटवारे के अनुसार मौके पर काबिज है। राजस्व रिकार्ड में त्रुटी पूर्ण इंद्राज होने के आधार पर प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी सं 6 को परेशान करने की नियत से ही निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि गलत तथ्यों के उल्लेख होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किए जाने के पश्चात प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने के आदेश प्रदान करावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रकरण से संबंधित विवादित आराजीयात ग्राम गनाहेडा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 594/2497, 594/2688, 627, 627/2624 कुल किता 4 कुल रकबा 1.78 है0 जो कि राजस्व रिकार्ड अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेंट्स की सहखातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात है। उक्त विवादित आराजीयात में राजस्व रिकार्ड अनुसार अपीलांट का 1/10 हिस्सा अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 17.12.2018 को प्रतिवादीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 6 की और से एक प्रार्थना पत्र वास्ते शीघ्र सुनवाई दिनांक 15.09.2020 को प्रस्तुत कर उपरोक्त प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 07.10.2020 से पूर्व सुनवाई करने हेतु निवेदन किया गया। दिनांक 15.09.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 भी प्रस्तुत किया गया। अपीलांट/वादी द्वारा दिनांक 21.09.2020 को उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 दिनांक 22.09.2020 को खारिज करते हुए प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट को भी दिनांक 22.09.2020 को खारिज किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा लगाए गए प्रार्थना पत्र में मात्र पत्रावली को तलब कर सुनवाई किए जाने बाबत अनुतोष चाहा गया था, तथा स्थगन आदेश को निरस्त करने बाबत कोई दादरसी नहीं चाही गई थी, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अनुतोष के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि उक्त विवादित आराजीयात अपीलांट व रेस्पोडेंट्स की सहखातेदारी की आराजीयात है, परंतु अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार ही पूरे प्रकरण को निस्तारित करते हुए दिनांक 22.09.2020 को निर्णय पारित किया गया। जबकि पत्रावली में अन्य अप्रार्थीगण की तलबी अपूर्ण थी तथा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 का जवाब दिया जाना शेष था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य अप्रार्थीगण की तलबी पूर्ण किए व जवाब लिए बिना ही प्रकरण का निस्तारण किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 गणेश का उक्त आराजीयात में 1/22 हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संपूर्ण प्रार्थना पत्र का निस्तारण अप्रार्थी संख्या 6 के जवाब अनुसार किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा दिनांक 15.09.2020 को प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्रों की कॉपी अपीलांट/प्रार्थी को प्रदान की गई, परंतु अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा दिनांक 22.09.2020 को प्रार्थना पत्र 212 के जवाब की कॉपी अपीलांट/प्रार्थी को बिना रिसिव कराए उसी दिन प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने के आदेश पारित

किए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में की गई त्वरित कार्यवाही से प्रार्थी/अपीलांट उक्त प्रार्थना पत्र का जवाबउल जवाब देने से वंचित रहे है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र का निस्तारण प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनों बिंदुओं का बिना तर्क संगत विवेचन किए पारित किया गया है। अतः प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को निस्तारण के लिए निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 45/2018 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2020 व दिनांक 17.12.2018 में पारित अंतरिम स्थगन आदेश को निरस्त किया जाता है व पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण से संबंधित शेष अप्रार्थीगण से **जवाब** प्राप्त कर, उक्त जवाब की **कॉपी** अभिभाषक प्रार्थी को प्रदान किए जाने के पश्चात प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 में **प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति** के बिंदुओं का विस्तृत विवेचन करते हुए प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.06.2026 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर